पत्रांक-1/पी.एम.सी./विविध/ 629/2003- 535

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक ई0 एस0 के0 चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06/2013

विषय:- क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबंध में निर्गत दिशा निदेश में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-मो0-4-कार्य-पी0-339/06 पार्ट- III- 160 पटना दिनांक25.01.2007

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदाओं के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबंध में दिशा-निदेश निर्गत है। इस निर्गत दिशा-निदेश में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतएव निष्पादित निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद के निस्तार हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है:-

(क) जब मुख्य अभियंता के स्तर पर निष्पादित निविदा के विरूद्ध कोई परिवाद प्राप्त होता है, तो विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा, जिसमें निविदा से सम्बद्ध मुख्य अभियंता सभी कागजातों के साथ उपस्थित होंगे। विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय विभागीय प्रधान सचिव एवं आवश्यकतानुसार विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) मुख्य अभियंता से नीचे स्तर पर निष्पादित निविदा पर जब परिवाद प्राप्त होंगे, तो संबंधित विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति के समक्ष मुख्य अभियंता अपने सुस्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदित करते हुए सभी कागजातों को रखेंगे तथा निविदा निष्पादन करने वाले पदाधिकारी के साथ उपस्थित होंगे।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,
13/6/2013
(एस0के0चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक 535 पटना, दिनांक - 13/06/13

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य), जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2013
(एस0के0चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)